**संख्या-28/2020/2904/22-2-2019-ई-6117/2018**

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

***कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2*** ***लखनऊ: दिनांक 09 जनवरी, 2020***

विषय:- जिला कारागार, प्रतापगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी मालती देवी पत्नी श्री तेज बहादुर सिंह, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-33451/प्रोबे0-5-दयायाचिका बैठक 26.09.2019 दिनांक 15.11.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी मालती देवी पत्नी श्री तेज बहादुर सिंह, जो लखनसेनपुर, थाना-लालगंज, जनपद-प्रतापगढ़ की रहने वाली है। महिला बंदी द्वारा दहेज की मांग को लेकर दिनांक 06.03.2000 को 02 सहअभियुक्तों के साथ संदिग्ध परिस्थितियों में बहू और बहू की 02 वर्षीय पुत्री को जलाकर हत्या करने का अपराध कारित किया है। उक्त अपराध हेतु महिला बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-683/2000 भा0द0सं0 की धारा-302, 498ए, 201 व 4 डी0पी0एक्ट के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 15.04.2009 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में महिला बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा महिला बंदी की काटी गयी अपरिहार सजा 10 वर्ष एवं कारित अपराध की प्रकृति (बहू एवं 02 वर्षीय पुत्री की हत्या) के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि महिला बन्दी मालती देवी पत्नी श्री तेज बहादुर सिंह, निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से महिला बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

**संख्या-28/2020/2904(1)/22-2-2019 तद्दिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, प्रतापगढ़ ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in